न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
17 / 24	एफएसएस एक्ट, 2006	03 / 05 / 2024

1. श्री वेदप्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
आवेदक

बनाम

1 कंचन सिंह गुर्जर पुत्र श्री अगर चन्द गुर्जर निवासी वार्ड नं. 6 रेल्वे पावर हाउस के पास, गंगापुरसिटी (मौके पर विक्रेता) मैसर्स ओमप्रकाश हलवाई, पंचायत समिति के सामने गंगापुरसिटी
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री अगरचन्द गुर्जर निवासी छाहरा चूली गंगापुरसिटी (फर्म मालिक) मैसर्स ओमप्रकाश हलवाई, पंचायत समिति के सामने गंगापुरसिटी। अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (आईआई) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदन के अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 02.09.2023 को 03.00 पी.एम पर गैसर्स – ओमप्रकाश हलवाई पंचायत समिति के सामने गंगापुरसिटी पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होने फर्म मालिक का आधार कार्ड एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को केसर बर्फी मेड फ्रॉम मवा, शुगर एंड फूड कलर में विक्रय हेतु रखे हुए थे केसर बर्फी मेड फ्रॉम मवा, शुगर एंड फूड कलर में मिलावट का अंदेशा होने पर केसर बर्फी मेड फ्रॉम मवा, शुगर एंड फूड कलर 02 किलोग्राम वजनी खरीदें उसकी कीमत 600/– रुपये विक्रेता श्री कचन सिंह गुर्जर को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कंचन सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री कचंन सिंह गुर्जर ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं.5ए की एक प्रति विक्रेता श्री कंचन सिंह गुर्जर को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम केसर बर्फी मेड फ्रॉम मवा, शुगर एंड फूड कलर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा केसर बर्फी मेड फ्रॉम मवा, शुगर एंड फूड कलर को प्रत्येक बोतल मे बराबर बराबर डालकर 40 40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलो को उक्कन लगाकर ऐवरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक ह–2991 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच 2991 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार शील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं छः की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील भाग गय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:25 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा से सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अतिरिक्त अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी को अतिरिक्त अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2023/ [illegible] दिनांक 27.09.2023 के द्वारा प्राप्त हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3680/एक्ट/2023/3789 दिनांक 27.09.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ केसर बर्फी मेड फ्रॉम मवा, शुगर एंड फूड कलर, सबस्टैंडर्ड होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभियुक्तगण द्वारा केसर बर्फी, सबस्टैंडर्ड का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (आईआई) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित । दिनांक 08.08.2025 को अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया तथा दिनांक 11.08.2025 को उक्त पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 11.08.2025 को वकील अभियुक्तगण उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/3680/एक्ट/2023/3789 दिनांक 27.09.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ केसर बर्फी मेड फ्रॉम मवा, शुगर एंड फूड कलर, सबस्टैंडर्ड होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा केसर बर्फी, सबस्टैंडर्ड का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (आईआई) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं० एलएस/3680/एक्ट/2023/3789 दिनांक 27.09.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ केसर बर्फी मेड फ्रॉम मवा, शुगर एंड फूड कलर, अवमानक प्रकृति का पाया गया है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 लगायत 2 को संयुक्त रूप से 2,00,000 (दो लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:25 IST
Reason: SelfAttested